न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 33 सन 2019
अनवान :–

1. सत्यप्रकाश पुत्र महादेव प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 22/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 36/199 की कुल 20.7530हैक्ट में सयुक्त खाता में सायाल का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सत्यनारायण दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम सत्यप्रकाश है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायल का नाम सत्यप्रकाश है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 36/199 की कुल 20.7530हैक्ट में सयुक्त खाता में सायाल का 1/6 हिस्सा प्रार्थी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यप्रकाश संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य राबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए नाम संशोधन किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर। बहस उभयपक्ष सुनी गई

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 36/199 की कुल 20.7530हैक्ट में सयुक्त खाता में सायाल का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सत्यनारायण दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम सत्यप्रकाश है यही नाम अन्य सभी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायल का नाम सत्यप्रकाश है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर नाम संशोधन किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 36/199 की कुल 20.7530हैक्ट में संयुक्त खाता में सायल का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में सायल का नाम सत्यप्रकाश दर्ज सायल का कथन है कि उसका सही नाम सत्यप्रकाश है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड ,, परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम सत्यप्रकाश दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी के नाम संशोधन के सम्बध में भूमिधारी तहसीलदार नोहर के द्वारा अभिशंषा भी की गई है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों तहसीलदार नोहर की अभिशषा के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 36/199 की कुल 20.7530हैक्ट में सयुक्त खाता में सायल का 1/6 हिस्सा दर्ज है में सायल का नाम सत्यनारायण के स्थान सत्यप्रकाश उर्फ सत्यनारायण पुत्र महादेव संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/9/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : [illegible]/रीडर/2020/ [illegible] दिनांक – 22 [illegible] 2020

तहसीलदार नोहर
नोहर।

विषय :– प्रकरण संख्या 33/2019 अन्तर्गत सत्यप्रकाश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– प्रकरण :–
1. सत्यप्रकाश पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 33/2019 अन्तर्गत सत्यप्रकाश बनाम सरकार में दिनांक 22/9/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा [illegible] के खाता संख्या 38/198 की कुल 21.7530 हैक्टेयर में संयुक्त खाता में सायल का 1/3 हिस्सा दर्ज है में सायल का नाम सत्यनारायण के स्थान सत्यप्रकाश उर्फ सत्यनारायण पुत्र महादेव संशोधन संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी (दिव्यांग [illegible])
नोहर (हनुमानगढ़)